ए.

मेसर्स विज़ामन इम्पेक्स पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.

केड्रियन बायोफार्मा इंक। (2022 की सिविल अपील संख्या 466) 7 फरवरी, 2022

[दिनेश माहेश्वरी और विक्रम नाथ**,** जे**.** जे**.]**

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 -एस. 9-निगमित दिवाला समाधान-प्रत्यर्थी ने एस. दायर किए।9 अपीलार्थी-निगमित देनदार के खिलाफ आवेदन-राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ('एन. सी. एल. टी.') ने प्रत्यर्थी द्वारा अपने इस तर्क के समर्थन में निर्दिष्ट दस्तावेजों पर विचार किया कि ऋण की स्वीकृति हुई थी और इस प्रकार सीमा की अवधि स्वीकृति की तारीख से बदल जाएगी-हालाँकि, एन. सी. एल. टी. ने इन दस्तावेजों को खारिज कर दिया।9 यह ध्यान में रखते हुए कि किसी भी दृष्टिकोण से, प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन तीन साल की सीमा अवधि से परे था-राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ('एन. सी. एल. ए. टी.') के समक्ष अपील में, प्रत्यर्थी ने बकाया के निपटान के प्रस्तावों के संबंध में ई-मेल के आदान-प्रदान को प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी-उक्त दस्तावेज एन. सी. एल. टी. के समक्ष रिकॉर्ड में नहीं थे-अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी को ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दी-उक्त ई-मेल द्वारा साक्ष्य दिए गए सभी सुझाव, प्रवेश और प्रस्ताव एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा समय के भीतर कॉर्पोरेट देनदार द्वारा स्वीकृति के रूप में लिए गए थे और इसलिए, एन. सी. एल. टी. के आदेश ने एस.9 आवेदन को दरकिनार कर दिया गया-आयोजितःएन. सी. एल. ए. टी. का विवादित आदेश अपील की अनुमति देता है और यहां तक कि एस. को स्वीकार करता है।9 आवेदन को इस संक्षिप्त बिंदु पर कायम नहीं किया जा सकता है कि उक्त अतिरिक्त दस्तावेजों को केवल अपील पर अंतिम निर्णय लेते समय और कॉर्पोरेट देनदार को प्रतिक्रिया देने के पर्याप्त अवसर के बिना रिकॉर्ड पर लिया गया था-हालांकि, साथ ही, उक्त दस्तावेजों पर उचित विचार भी आवश्यक प्रतीत होता है और दस्तावेजों यानी उक्त ई-मेल को केवल इसलिए विचार से बाहर नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि वे एन. सी. एल. टी.-एन. सी. एल. टी. के समक्ष रिकॉर्ड पर नहीं थे।9 प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन-आवेदक रिकॉर्ड पर लिए गए अतिरिक्त दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही कॉर्पोरेट देनदार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए।

जी.

एच.

120

121

मेसर्स विज़ामन इम्पेक्स पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.केड्रियन बायोफार्मा इंक।

ए.

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** दिवाला और दिवालियापन संहिता, **2016** की धारा **9** के तहत अपील की अनुमति देने और यहां तक कि आवेदन को स्वीकार करने का विवादित आदेश इस संक्षिप्त बिंदु पर कायम नहीं किया जा सकता है कि उक्त अतिरिक्त दस्तावेजों को केवल अपील पर निर्णय लेते समय और कॉर्पोरेट देनदार को जवाब देने के पर्याप्त अवसर के बिना रिकॉर्ड पर लिया गया था।हालांकि, साथ ही, उक्त दस्तावेजों पर उचित विचार भी आवश्यक प्रतीत होता है और दस्तावेजों यानी उक्त ई-मेल को केवल इसलिए विचार से हटाया नहीं जा सकता है क्योंकि वे एन. सी. एल. टी. के समक्ष रिकॉर्ड में नहीं थे। **[**पैरा **7] [124-**बी-सी**]**

2. इस मामले में उपयुक्त तरीका यह होगा कि एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित विवादित आदेश को इस हद तक दरकिनार कर दिया जाए कि उसने आवेदक-प्रतिवादी द्वारा दायर संहिता की धारा **9** के तहत आवेदन की अनुमति दी है, लेकिन दायर किए गए दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लेते हुए विवादित आदेश के दूसरे हिस्से को बरकरार रखते हुए।उक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर लेने के बाद, मामले में निर्णय की उचित प्रक्रिया के लिए, यह भी उचित और उचित माना जाता है कि एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित दिनांकित आदेश को भी दरकिनार कर दिया जाए और एन. सी. एल. टी. को संहिता की धारा **9** के तहत आवेदन पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया जाए, जैसा कि आवेदक-प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया है, जबकि अब रिकॉर्ड में लिए गए अतिरिक्त दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही, कॉर्पोरेट देनदार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए।**[**पैरा **8] [124-**सी-ई**]**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील सं. 466

2022.

2020 के कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) No.981 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के दिनांकित 15.12.2021 के निर्णय और आदेश से।

जयंत के. मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता, ए. टी. पात्रा, करण खेतान, आदित्य घाडगे, सुश्री बीना गुप्ता, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

जी.

नकुल दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री सुरुची सूरी, सिमरान जोट सिंह, चंचलकुमार गंगुली, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

एच.

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

1. शामिल छोटे बिंदु और चुनाव लड़ने वाले दलों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए, हमने अंत में इस स्तर पर ही पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता सुना है।

2. इस अपील के माध्यम से, अपीलकर्ता-कंपनी, जिसे दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 1 के अर्थ के भीतर कॉर्पोरेट देनदार कहा जाता है, ने 2020 की कंपनी अपील (एटी) दिवाला संख्या 981 में पारित किए गए 15.12.2021 के फैसले और आदेश पर सवाल उठाया है, जिसके तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली 2 ने 2020 की सीपी (आईबी) 841 (एनडी) में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली बेंच-वी 3 द्वारा पारित किए गए 06.10.2020 के आदेश को रद्द कर दिया है और संहिता की धारा 9 के तहत आवेदक (इसमें प्रतिवादी) द्वारा दायर आवेदन को भी अनुमति दी है।

3. संहिता की धारा 9 के तहत उक्त आवेदन आवेदक-प्रत्यर्थी द्वारा 30.06.2020 पर, कॉर्पोरेट देनदार के एक परिचालन लेनदार के रूप में अपनी क्षमता में दायर किया गया था, जबकि अन्य बातों के साथ, यह दावा करते हुए कि एक वितरण समझौता हुआ था, जिसके तहत कॉर्पोरेट देनदार को आवेदक कंपनी के दवा उत्पादों को केवल तब तक बेचना था जब तक कि उसकी सहायक कंपनी "केड्रियन इंडिया" ऐसा करने में सक्षम न हो।अवधि में कई चालान जुटाए गए और क्रेडिट नोट भी जारी किए गए।यह आवेदक-प्रत्यर्थी का मामला रहा है कि देय ऋणों के संबंध में, 25.07.2019 दिनांकित एक नोटिस भेजा गया था, जिसमें USD 9,01,000 की राशि की मांग की गई थी, लेकिन उक्त मांग नोटिस को वापस नहीं किया गया था।इसके बाद, 07.08.2019 पर, कॉर्पोरेट देनदार के नए पंजीकृत कार्यालय के पते पर एक और मांग सूचना भेजी गई।आवेदक ने आरोप लगाया कि 17.08.2019 पर, कॉर्पोरेट देनदार ने स्वीकार किए गए पर विवाद करते हुए उक्त मांग नोटिस का जवाब दिया और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, महाराष्ट्र के साथ लघु शेल्फ-लाइफ उत्पादों की आपूर्ति के संबंध में अपने लंबित विवाद के संदर्भ में देय राशि को स्वीकार किया।आवेदक ने तर्क दिया कि निगमित देनदार ने संहिता की धारा 3 (12) के अर्थ के भीतर एक चूक की थी और बकाया राशि संहिता की धारा 5 (21) के साथ पठित धारा 3 (11) के अर्थ के भीतर एक परिचालन ऋण के रूप में योग्य थी।

जी.

1 इसके बाद 'कोड' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है

2 इसके बाद इसे 'अपीलीय न्यायाधिकरण' या 'एन. सी. एल. ए. टी.' भी कहा जाता है।3 इसके बाद इसे 'न्यायनिर्णायक प्राधिकरण' या 'एन. सी. एल. टी.' भी कहा जाता है।

एच.

123

मेसर्स विज़ामन इम्पेक्स पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.केड्रियन बायोफार्मा इंक. [दिनेश माहेश्वरी, जे.]
ए.

ए.

4. अपने दिनांक 1 के आदेश में, एन. सी. एल. टी. ने अपने इस तर्क के समर्थन में आवेदक द्वारा निर्दिष्ट दस्तावेजों पर विचार किया कि ऋण की स्वीकृति हुई थी और इस तरह सीमा की अवधि स्वीकृति की तारीख से बदल जाएगी।एन. सी. एल. टी. ने पाया कि 15.12.2017 दिनांकित दस्तावेज़ एक क्रेडिट ज्ञापन था, जो आवेदक द्वारा जारी किया गया

था न कि प्रत्यर्थी द्वारा और इस प्रकार, इसे ऋण की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है।कंपनी के निदेशक के हस्ताक्षर वाले और लंबित चालानों के भुगतान के संबंध में बैंक को संबोधित दिनांकित 07.07.2016 दस्तावेज़ के संबंध में, NCLT ने कहा कि भले ही उक्त पत्र को ऋण की स्वीकृति के रूप में माना जाता है, लेकिन सीमा इसकी तारीख, यानी 07.07.2016 से चलती है।एन. सी. एल. टी. ने 02.02.2017 दिनांकित एक अन्य पत्र पर विचार किया और कहा कि भले ही उक्त दस्तावेज़ को ऋण की पावती के रूप में लिया गया हो, लेकिन सीमा 02.02.2017 से चलती है।इसलिए, एन. सी. एल. टी. इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि, किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो, 30.06.2020 पर दायर आवेदन सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 के संदर्भ में तीन साल की अवधि से अधिक था।इस प्रकार, एन. सी. एल. टी. प्रत्यर्थी द्वारा किए गए आवेदन को अस्वीकार करने के लिए आगे बढ़ा।

5. अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक-प्रत्यर्थी ने एन. सी. एल. टी. के उपरोक्त आदेश के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन (2020 का आई. ए. संख्या 2685) दायर किया और इस प्रकार, बकाया के निपटान के प्रस्तावों के संबंध में 03.11.2017 से 11.01.2019 तक ई-मेलों के आदान-प्रदान को प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी।मान लीजिए, उक्त दस्तावेज एन. सी. एल. टी. के समक्ष रिकॉर्ड में नहीं थे।

6. हालाँकि, अपीलीय न्यायाधिकरण ने आवेदक (एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपीलार्थी) को ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति देना उचित और उचित पाया; लेकिन ऐसी अनुमति केवल दिनांक 15.12.2021 के विवादित आदेश में दी गई।इसके बाद, अभिलेख पर लिए गए उक्त अतिरिक्त दस्तावेजों के आधार पर, अपीलीय न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निगमित देनदार ने अपनी देनदारी स्वीकार कर ली है और भुगतान करने के साथ-साथ निपटान प्रस्ताव को संशोधित करने के लिए भी अपनी तत्परता दिखाई है। उक्त ई-मेल द्वारा साक्ष्य दिए गए ऐसे सभी सुझावों, स्वीकारों और प्रस्तावों को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा समय के भीतर निगमित देनदार द्वारा स्वीकृति के रूप में लिया गया था और इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने आवेदक के दावे को समय द्वारा वर्जित रखने में गलती की थी।

जी.

एच.

7. यद्यपि 2020 के आई. ए. सं. 2685 के माध्यम से अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष रखे गए उक्त दस्तावेजों के प्रभाव के संबंध में चुनाव लड़ने वाले पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा कई तर्कों का आग्रह किया गया है, लेकिन हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि अपील की अनुमति देने वाले और यहां तक कि संहिता की धारा 9 के तहत आवेदन को स्वीकार करने वाले विवादित आदेश को इस अल्प बिंदु पर कायम नहीं रखा जा सकता है कि उक्त अतिरिक्त दस्तावेजों को केवल अपील का निर्णय करते समय और कॉर्पोरेट देनदार को प्रतिक्रिया देने के पर्याप्त अवसर के बिना रिकॉर्ड पर लिया गया था।हालांकि, साथ ही, उक्त दस्तावेजों पर उचित विचार भी आवश्यक प्रतीत होता है और दस्तावेजों यानी उक्त ई-मेल को केवल इसलिए विचार से हटाया नहीं जा सकता है क्योंकि वे एन. सी. एल. टी. के समक्ष रिकॉर्ड में नहीं थे। 8.ऊपर जिस पर चर्चा की गई है और अवलोकन किया गया है, हमारे विचार में, इस मामले में उपयुक्त मार्ग यह होगा कि एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित दिनांकित (आई. डी. 1) के विवादित आदेश को उस हद तक दरकिनार कर दिया जाए, जब उसने आवेदक-प्रत्यर्थी द्वारा दायर संहिता की धारा 9 के तहत आवेदन की अनुमति दी है, लेकिन 2020 के आई. ए. संख्या 2685 के साथ दायर दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेते हुए विवादित आदेश के दूसरे हिस्से को बरकरार रखते हुए।उक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर लेने के बाद, मामले में निर्णय की उचित प्रक्रिया के लिए, यह भी उचित और उचित माना जाता है कि एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित दिनांकित आदेश को भी दरकिनार कर दिया जाए और एन. सी. एल. टी. को संहिता की धारा 9 के तहत आवेदन पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया जाए, जैसा कि आवेदक-प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया है, जबकि अब रिकॉर्ड में लिए गए अतिरिक्त दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही, कॉर्पोरेट देनदार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए।

9. हम, निश्चित रूप से, यह देख सकते हैं कि शुरुआत में प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नकुल दीवान ने कॉर्पोरेट देनदार के कहने पर इस अपील की स्थिरता पर सवाल उठाने का प्रयास किया है क्योंकि एन. सी. एल. ए. टी. ने विवादित आदेश द्वारा संहिता की धारा 9 के तहत आवेदन की अनुमति दी थी।हमने इस तरह की आपत्ति को इस साधारण कारण से खारिज कर दिया है कि उक्त आवेदन को एन. सी. एल. टी. द्वारा खारिज

कर दिया गया था और केवल विवादित आदेश के माध्यम से इसकी अनुमति दी गई थी और जब तक कि इस न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की जांच नहीं की गई और उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया, तब तक निगम ऋणी के अधिकार और उसकी शुद्धता को चुनौती देने के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता था।किसी भी मामले में, वर्तमान मामले में, विवादित आदेश 15.12.2021 पर पारित किया गया था और यह स्वीकार किया गया था कि समाधान पेशेवर की नियुक्ति सहित मामले में कोई अन्य कदम नहीं उठाए गए थे।तथ्यों के दिए गए सेट में, हमने प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया।

जी.

एच.

125

मेसर्स विज़ामन इम्पेक्स पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.केड्रियन बायोफार्मा इंक. [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

ए.

10. तदनुसार, इस अपील की अनुमति ऊपर बताए गए हद तक और तरीके से दी गई है। 2020 के सी. पी. (आई. बी.) 841 (एन. डी.) में संहिता की धारा 9 के तहत आवेदन पूर्वगामी टिप्पणियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुनः विचार के लिए बहाल किया गया है।

11. यह बिना कहे चला जाता है कि हमने मामले के गुण-दोष पर किसी भी तरह से निर्णय नहीं लिया है और यहां तक कि साक्ष्य मूल्य और विचाराधीन दस्तावेजों के प्रभाव पर भी नहीं।सभी पहलुओं को कानून के अनुसार न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा जांच के लिए खुला छोड़ दिया जाता है।12. मामले की परिस्थितियों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संहिता की धारा 9 के तहत आवेदन 30.06.2020 पर बहुत पहले दायर किया गया था, हम न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से मामले को उचित प्राथमिकता देने और तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद करेंगे।

बिभूति भूषण बोस

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

जी.

एच.